

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 4583 /सेक-2-पाँच-17-4(52)/2017

लखनऊ :: दिनांक : 04 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 लाल चन्द्र शेखर सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी सम्प्रति अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-39065/2017 डा0 लाल चन्द्र शेखर सिंह बनाम राज्य इस आशय से योजित की गयी कि उनका कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3423ए/सेक-2-पाँच-17-7(64)/2017, दिनांक 16.08.2017 द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा के पद पर किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाय।

2- उक्त रिट याचिका में सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

We have heard Sri Anand Kumar Singh, learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the State-respondents.

By means of this writ petition the petitioner has prayed for issuing a writ of certiorari quashing the order dated 16.08.2017 passed by the Principal Secretary, Medical Health, U.P. at Lucknow, (respondent no. 1) by which petitioner while working as Additional Chief Medical Officer, has been transferred from Kaushambi to Mahoba.

The transfer order has been challenged on the ground that the petitioner's wife is suffering from Pancytopenia with DUB with Malignancy and under treatment of Doctor at Allahabad and her condition is complicated. She needs proper attention and due to his transfer at Mahoba, the petitioner will not be able to look after his wife.

Having heard learned counsel for the parties, without expressing any opinion on merit of the matter, the writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to file representation before the Principal Secretary, Medical Health, U.P. at Lucknow, (respondent no. 1) for redressal of his grievance, alongwith certified copy of the order of this court, provided he joins at transferred place within ten days. In case, such a representation is filed, after joining at transferred place the same shall be considered and decided by the respondent no. 1 sympathetically by passing a reasoned speaking order, in accordance with law, expeditiously, preferably within a period of six weeks from the date of receipt of the representation.

With the aforesaid observations/directions the writ petition is disposed of.

3- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में डा0 लाल चन्द्र शेखर सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 10.09.2017 शासन में प्राप्त हुआ जिसमें डा0 सिंह द्वारा अपनी पत्नी का इलाज जनपद इलाहाबाद में होने के दृष्टिगत इलाहाबाद मण्डल के किसी जनपद में तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से डा0 लाल चन्द्र शेखर सिंह (वरि0क्र0-9168), अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा को उनके निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर के पद पर तैनात किया


जाता है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-39065/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 के अनुपालन में उनका प्रत्यावेदन दिनांक 10.09.2017 एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

प्रशान्त त्रिवेदी  
प्रमुख सचिव।

संख्या-4563 (1)/सेक-2-पाँच-17, तद्विनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध सहित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा को एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित एक प्रति डा0 लाल चन्द्र शेखर सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा को प्राप्त कराकर तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर।
- 9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोबा/फतेहपुर।
- 10- डा0 लाल चन्द्र शेखर सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा(द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा) ।
- 11- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश से प्रेषित कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का प्रारूप-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
(जे0एल0 यादव)  
अनुसचिव।